

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर - 495009 (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260017, 260368, 260376 फैक्स : 07752-260154, वेबसाइट : www.new.ggu.ac.in

**GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**

A Central University established by the Central Universities Act, 2009
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone 07752-260017, 260368, 260376, FAX : 07752-260154, Website : www.new.ggu.ac.in

क्र. 725/भर्ती/प्रशा./2025**विज्ञापन****बिलासपुर, दिनांक 22.05.2025**

विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों हेतु आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, सहायक संचालक शारीरिक शिक्षा एवं सहायक ग्रंथपाल के पदों हेतु ऑन-लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

01 निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुये आवेदन केवल आनलाईन माध्यम से **दिनांक 23.06.2025 तक** भरे जाने हैं।

02.रिक्त पदों की संख्या, न्यूनतम अर्हता, सामान्य अनुदेश, समवर्गी विषय, पूर्व विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों हेतु निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.new.ggu.ac.in पर प्रदर्शित है।

03.इच्छुक आवेदकों को आवेदन करते समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ग्रेड वेतन के साथ कार्यानुभव तथा संबंधित वर्षों का फार्म-16/आयकर रिटर्न शोध प्रकाशन इत्यादि के स्पष्ट सुसंगत अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

04.निर्धारित अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु. 2500/- (अजा/अजजा/दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों के लिये रु 1,000/-)

05.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार आरक्षण एवं छूट प्रदान की जायेगी।

06.विज्ञापन में अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न पदों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार (यदि कोई हो तो), रिक्त पदों (रोस्टर) में परिवर्तन किया जा सकेगा।

07.इस विज्ञापन से संबंधित सूचनायें, परिवर्तन अथवा संशोधन की जानकारी केवल विश्वविद्यालय के वेबपटल पर प्रदर्शित की जायेगी। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिये विश्वविद्यालय की वेबपटल का नियमित अवलोकन करें एवं अपने आपको अद्यतन रखें।

कुलसचिव